



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।



क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011-12/01742 5915
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक : 23 MAY 2024

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबन्ध में।
प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यों का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे (विश्राम काल रहित) करने के निर्देश जारी किये गये थे। राज्य में प्रचण्ड गर्मी (तापमान) के दृष्टिगत योजनान्तर्गत कार्यों का समय प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (विश्राम काल रहित) किया जाता है।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह किये गये कार्य की माप, मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने व समूह मुखिया के हस्ताक्षर उपरान्त प्रातः 10:30 बजे के पश्चात (एनएमएमएस की निर्धारित प्रक्रियानुसार दूसरी पारी की हाजिरी अंकन उपरांत) कार्य स्थल छोड़ सकता है।

यह व्यवस्था दिनांक 15.7.2024 तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरान्त कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जुगल किशोर मीणा)
अति. आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
7. मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारीगण।
8. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
10. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला मरिषद समस्त राजस्थान।
11. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7435191



Signature valid

Digitally signed by Jugal Kishor Meena
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.05.23 15:12:02 IST
Reason: Approved